फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बाबूलाल बनाम रोशन (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 27 सन 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील म जारी हुए
2-23	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनाक 14.3.23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
14/3/23	पत्रावली पेश हुई, [illegible] द्वारा [illegible] रखने से पत्रावली [illegible] 28.3 (27) को पेश हो।	
28/3/23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थीगण का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर शा० प० किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर नम्बर से कम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 27/23 प्रा० पत्र

1– श्री बालूलाल S/o श्री गैंक कुम्हार निवासी- नवलपुरा तहसील -माण्डल (भील०)

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री रोशन S/o श्री श्यामलाल हरिजन निवासी- जोरावरपुरा तहसील- माण्डल (भील०)
(प्रत्यर्थित प्राप्त संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनाक– 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भावलास पटवार हल्का भावलास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 1197/227, 222, 227, 223, 224, 225, 223/1, 224/1, 225/1, 226 कुल किता 10 रकबा 1.9603 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के निर्धारण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.02.23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भावलास पटवार हल्का भावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 1197/227, 222, 227, 223, 224, 225, 223/1, 224/1, 225/1, 226 कुल किता 10 रकबा 1.9603 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को बागोर 70/- – कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा